

प्रार्थी

अप्रार्थी

1. विक्रमसिंह पुत्र परबतसिंहजी,  
जाति राजपूत, निवासी-बलाना,  
तहसील सुमेरपुर, जिला पाली  
(राज.)

तहसीलदार महोदय सुमेरपुर

किस्म मुकदमा राजस्व विविध 84/2020

GCMS No. :- 2020/00319

अन्तर्गत धारा 81 भू राजस्व अधिनियम स्थगन प्रार्थना पत्र

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/11/20	<p>प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत कर तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रकरण संख्या 598/2020 सरकार बनाम विक्रमसिंह में पारित आदेश दिनांक 09.11.2020 के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित कराने हेतु निवेदन किया है।</p> <p>वकील प्रार्थी द्वारा वक्त बहस कथन किया गया की अपीलाधीन निर्णय एक गरीब काशतकार के विरुद्ध परिवार का अकेला कमाने वाला व्यक्ति है के विरुद्ध पारित कर जेल भेज दिया गया है जबकि अप्रार्थी को नोटिस प्रॉपर तामील नहीं कराया गया था। न ही प्रार्थी को मातहत अदालत से कोई नोटिस ही मिला है। इस प्रकार प्रार्थी को सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किए बगैर ही निर्णय पारित कर दिया है जो विधी के सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रकरण नायब तहसीलदार के न्यायालय में दर्ज किया गया एवं अपना निर्णय तहसीलदार द्वारा किया गया प्रकरण अंतरित नहीं किया गया है। न ही विधिक प्रक्रिया अपनाई गई हैं। नोटिस दिनांक 29.10.2020 को उपस्थित रहने हेतु दिया गया एवं प्रकरण उस दिवस को नियत नहीं रखा गया जबकि दिनांक 09.11.2020 को रखा जाकर निर्णित किया गया है। जो अवैध एवं शुन्यवृत होने से अपास्त योग्य है। प्रार्थी को पश्चातवृत्ती अतिक्रमी मानते हुए आदेश पारित किया गया है पश्चातवृत्ती अतिक्रमण का साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है निर्णय में ही उल्लेख किया गया है। पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किए जाने बाबत रिपोर्ट मूल या प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है। प्रार्थी का कब्जा काबिल नियमन है। प्रार्थी को तीन दशकों से उक्त भूमी पर कब्जा काशत है तथा वर्ष 2005 से पूर्व से उक्त भूमी पर ट्यूबवेल स्थापित है तथा पूर्व में प्रकरण संख्या 281/05 थे व नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा दिनांक 28.10.2005 को उपरोक्त भूमि को सिंचाई प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1979 के नियम 12(क) के तहत नियमन किये जाने की अभिशंषा कर पत्रावली को उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर को प्रेषित की थी जो वर्तमान में लम्बित है तथा निर्णित होने की सूचना प्रार्थी को आदिनांक प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी भूमी हीन काशतकार है एवं प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार नियमन करवाने का अधिकारी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर मातहत अदालत द्वारा पारित आदेश की पालना प्रभाव एवं क्रियान्विती को स्थगित करने के आदेश जारी करावे।</p> <p>बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा वक्त बहस उल्लेखित तथ्य अपील से सम्बन्धित है अतिक्रमित आराजी ग्राम बलाना तहसील सुमेरपुर खसरा नम्बर 1185 रकबा 0.04 हैक्टेयर गैर मुमकीन रास्ता की भूमी है इस बात की ताईद, वकील प्रार्थी एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से उक्त भूमी का सरकारी गैर मुमकीन रास्ता होना स्पष्ट होने से प्रार्थी के हक में स्थगन दिया जाना न्यायोचित नहीं है एवं भूमी गैर मुमकीन रास्ता राजकीय भूमी होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है तथा उक्त भूमी प्रार्थी की खातेदारी में न होकर सरकारी होने से प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति होने का भी प्रश्न नहीं है उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी के हक में मातहत अदालत द्वारा जारी आदेश दिनांक 09.11.2020 के विरुद्ध किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।</p> <p>स्थगन पत्रावली शुमार फैसल की जाकर इस न्यायालय से नम्बर से कम हो एवं मूल अपील के संलग्न की जावे।</p>	